रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012020-215265
CG-DL-E-09012020-215265

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 7, 2020/पौष 17, 1941
No. 102] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 7, 2020/PAUSHA 17, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2020

का.आ. 110(अ).—जबकि केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1401(अ), दिनांकित 31 मई, 2013 के द्वारा तमिल नाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.- 532 (कुडालोर से वृद्धाचलम तक) के कि.मी. 0.800 से कि.मी. 51.000 तक के खंड को तमिल नाडु राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है।

अत: अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जो इसके आगे "नियम" के रूप में उल्लिखित है) के नियम 3 के साथ पठित, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा तमिल नाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 532 (किमी 0.800 से किमी 51.000) तक कुडालोर से वृद्धाचलम तक के खंड के प्रयोग के लिए निम्नलिखित तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 45.1302 किमी की निवल सड़क खंड लंबाई और किमी 0.968 (0.0968 किमी लंबाई) की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक की लंबाई) के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 60% तथा 5 किमी निवल सड़क खंड की लंबाई के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 100% की दर पर यांत्रिक वाहन से फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-I

वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संगृहीत की जाने वाली फीस ऐसे पथकर प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट निवल सड़क लंबाई हेतु पथकर प्लाजा पर देय और संदेय होगी, अर्थात्:-

तालिका-2

पथकर प्लाजा (चैनेज) की अवस्थिति	**लंबाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेय है**	**दर, जिस पर फीस संदेय है**
राष्ट्रीय राजमार्ग-532 के कुडालोर जिले में ग्राम यू. पुन्नालाग्राम के निकट किमी 45/2 पर	5.000 किमी	चार और अधिक लेन के लिए 100%
	45.1032 किमी	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 2 लेन/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन के लिए 60%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित फीस भी देय और संदेय होगी:-

तालिका-3

पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	**समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए अवसंरचनाओं* की लंबाई (किमी में)**	**समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)**	**दर, जिस पर फीस संदेय है**
राष्ट्रीय राजमार्ग-532 के कुद्दालोरे जिले में यू. पुन्नालाग्राम के निकट किमी 45/2 पर	0.0968	0.968	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों के लिए 60%

* संरचनाओं (> 60 मीटर लंबाई) का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी)
	चैनेज शुरू किमी से	चैनेज समाप्त किमी तक		
1	25/342	25/438.8	मुख्य पुल	96.80

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2019-20 के लिए 265.00 रु. (दो सौ पैंसठ रुपए मात्र) है और यह उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक वर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

4. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-4

भुगतान-योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

5. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के लिए उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1क में विनिर्दिष्ट फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

8. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

9. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 157.93 करोड़ रू. है। प्राप्त प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा तथा पूंजीगत लागत की वसूली के पश्चात् उदग्राह्य फीस घटाकर दरों के 40% तक कर दी जाएगी और कथित नियमों के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित की जाएगी।

[फा. सं. सीई-आरओ/चैन्नई/एमओआरटीएच/12014/215/2018-19]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2020

S.O. 110(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.1401 (E) dated 31st May 2013, issued under section 5 of the National Highways Act,1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the stretch from Km. 0.800 to Km. 51.000 (from Cuddalore to Vridhachalam section) of National Highway No.532, in the State of Tamil Nadu to the State Government of Tamilnadu

Now, therefore in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection)Rules,2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at sixty percent of the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 45.1302 Km. and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 0.968 km. (having length of 0.0968 km.) and at one hundred percent of the base rate specified in column (2) of Table(1) for net road section length of 5.00 km. on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Cuddalore to Vridhachalam section (from km. 0.800 to km. 51.000) of National Highway number 532 in the State of Tamil Nadu and authorises National Highways Authority of India (NHAI) to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE-1

Type of Vehicle	Base rate of fee per km. for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three- axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (Seven or more Axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely:-

TABLE-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length(in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km. 45/2, near village U.Ponnalagaram in Cuddalore District NH-532	5.000 Km.	100% for four and more lane
	45.1032 Km.	60% for two lane/two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following Fee plaza(s), by converting the length of structures into an equipment length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10, at the base rate mentioned in Table 1 above:

TABLE-3			
Location of Fee Plazaa (Chainage)	Length of structures (Km.) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (Km.)	Rate at which fee is payable
At Km. 45/2 of NH-532 near U. Ponnalangaram in Cuddalore district of Tamil Nadu	0.0968	0.968	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

^The details of structures (> 60 m length) are as under:

S. No.	Start Chainage (Km.)	End Chainage (Km.)	Type and Name of the structure	Total length (mtr.)
1.	25/342	25/438.8	Major Bridge	96.80

3. The rate of Monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs.265 (Rupees Two Hundred and Sixty Five Only) for the year 2019-20 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

TABLE-4		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India (NHAI) on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees 157.93 crore. National Highways Authority of India (NHAI) shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. CE-RO/Chennai/MORTH/12014/215/2018-19]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.01.09 22:03:47 +05:30